

997/16-17

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
-------------------------------	--------------------------------	--

18/8/21

अभिलेख उपस्थापित।  
अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार असरीत ठराव पिता — को खास नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 28/8/21 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

28/8/21

अभिलेख उपस्थापित।  
खास नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्राप्त। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी से मूल कागजात की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 22/9/21 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

22/9/21

अभिलेख उपस्थापित।  
प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित।  
अभिलेख दिनांक 04/10/21 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

04/10/21

16/6/22

अभिलेख उपस्थापित।  
अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार असरीत ठराव पिता — को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के वंशज द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम बड़की बिठुरा खाता संख्या 284/51 प्लॉट संख्या 3345 रकबा 0.84 एर का सुनवाई के दौरान कोई लिखित कथान नहीं दिया है कि उनके पास अन्य कोई इत्तवावेज है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।  
राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी- II में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम बड़की बिठुरा खाता संख्या 284/51 प्लॉट संख्या 3345 सर्वे खतियान में किस्म X दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0, दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है।

क्रमशः

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि असरीत उराँव पिता.....  
ग्राम कड़की बिठुरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध प्रतित होता है:-

क्र०सं०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	कड़की बिठुरा	02	284/51	3345	0.84 ए०

मुख्य सचिव, झारखण्ड रांची का पत्रांक- 2074/रा०, दिनांक- 13.05.2016. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 6144/रा०, दिनांक- 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा०, दिनांक- 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत मामला नहीं बनता है। अतः वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।

  
अंचल अधिकारी,  
कुरडेग।